ज्ञापांक......1066........./पी0–2
07–02/01–03–2012 (पार्ट)
पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी पुलिस उप–महानिरीक्षक,
बिहार।

पटना, दिनांक :– 08/4/16

विषयः– **सहायक अवर निरीक्षक से अवर निरीक्षक की कोटि में प्रोन्नति हेतु मनोनयन के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रोन्नति कोटे के अवर निरीक्षक के रिक्त पदों के विरूद्ध प्रोन्नति देने के लिए सहायक अवर निरीक्षकों का मनोनयन अपेक्षित है।

सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र सं0–11/आ0नी0–।–03–16 सा0प्र0–4800, दिनांक–01.04.16 के द्वारा राज्यधीन सेवाओं में मूल कोटि में वरीयता सह योग्यता के आधार पर प्रोन्नति दिए जाने की प्रकिया प्रारंभ करने का निदेश प्राप्त है। स0अ0नि0 से अ0नि0 की कोटि में दिनांक–31.12.10 तक के सामान्य कोटि के प्रोन्नत स0अ0नि0 को अ0नि0 कोटि में प्रोन्नति दिया जा चुका है।

अतएव अनुरोध है कि मूल कोटि में वरीयता सह योग्यता के आधार पर स0अ0नि0 से अ0नि0 कोटि में प्रोन्नति देने हेतु विचारार्थ दिनांक 31.12.10 तक के छुटे हुये मामलों के साथ वर्ष 2014 तक प्रोन्नत सहायक अवर निरीक्षकों का अवर निरीक्षक की कोटि में प्रोन्नति हेतु क्षेत्रीय चयन पर्षद की अनुशंसा सेवा पुस्त एवं विगत 05 वर्षों की गोपनीय चारित्री अभियुक्ति सहित निम्नलिखित प्रपत्र में मनोनयन तीन प्रतियों में (सी0डी0 सहित) 15 दिनों के अन्दर पुलिस मुख्यालय में प्राप्त करा देना सुनिश्चित किया जायः–
स0अ0नि0 से अ0नि0 की कोटि में प्रोन्नति हेतु मनोनयन का प्रपत्रः–

क0	वरीयता क्रमांक	स0अ0नि0 का नाम/ आरक्षण कोटि	गृह जिला	पदस्थापन जिला / इकाई	जन्म तिथि	सिपाही/ मूल पद पर नियुक्ति की तिथि	मैट्रिक पास करने का वर्ष	हिन्दी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि	पी0टी0सी0 उत्तीर्ण करने की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

स0अ0नि0 में प्रोन्नति की तिथि .... प्रोन्नति क्षेत्रीय आदेश से दी गयी है या पुलिस मुख्यालय के द्वारा?	स0अ0नि0 के पद पर संपुष्टि की तिथि	वृहद सजा (वि0का0 में घटना की तिथि) सहित	लंबित वि0का0/82 8(सी0)	विगत पांच वर्षों की गो0च0 अभ्युक्ति। (किस तिथि से किस तिथि तक एवं अभ्युक्ति अंकित होगी)। यदि प्रतिकुल है तो संसूचित है या नही ?	क्षेत्रीय चयन पर्षद की अनुशंसा	पूर्व पदस्थापन विवरणी (तिथि सहित)	अभ्युक्ति
11	12	13	14	15	16	17	18

1. प्रायः देखा जा रहा है कि संबंधित स0अ0नि0 का मनोनयन बिना गो0च0अभ्युक्ति या एक वर्ष दो वर्ष की अभ्युक्ति के साथ पुलिस मुख्यालय भेज दिया जाता है, जो कार्य बोझ सृजन के अलावा कुछ नही कहा जा सकता।

अतः यह गंभीरता से संज्ञान में रखा जाय कि विगत पांच वर्षों में कम से कम तीन वर्षों की गो0च0 अभ्युक्तियॉ, यदि वांछित अवधि का वा0गो0चा0 उपलब्ध नही हो तो उक्त अवधि का विशेष वा0गो0चा0 नियंत्री पदाधिकारी से आलेखित कर, मनोनयन तीन प्रतियों में (सी0डी0 सहित) के साथ अवश्य संलग्न की जाय अन्यथा मनोनयन अपूर्ण मानते हुए इसे वापस कर दिया जायेगा।

2. मनोनयन हर हालत में विहित प्रपत्र में ही भेजी जाय। वा0गो0चा0 का अवधि एवं श्रेणीकरण यथा अच्छा/उत्कृष्ट/औसत/औसत से नीचे संदर्भित कॉलम में अवश्य अंकित किया जाय।

8/4/16

पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय),
बिहार, पटना।

प्रतिलिपिः– 1. पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (निरीक्षण), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित।

2. सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित।